रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230367
CG-DL-E-12102021-230367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3866] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 12, 2021/ आश्विन 20, 1943
No. 3866] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ ASVINA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4213(अ).— चूंकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2365 (ई) दिनांक: 12 जुलाई, 2016 द्वारा 'हरियाणा राज्य मेंउत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा-सोनीपत- झज्जर' तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहाजाए) को सौंपा है;

अतः,अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात "नियम'' कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334बी के 0.000 कि.मी. से 44.800 कि.मी. तक यूपी/हरियाणा सीमा से रोहना खण्ड के चार और अधिक लेन खण्डों उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 18.990 कि.मी. और 3.600 किमी (0.360 किमी लंबाई) की समकक्ष संरचना लंबाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर और बाईपास जिनकी लंबाई 20.870 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर आधार दर के 150% की दर से शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका - 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्कनिम्नलिखित शुल्क प्लाजा परऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगाः

तालिका - 2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	**लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले के झरोठी गांव पर एनएच-334बी के 30.800 (विद्यमान चेनेज 19.550) डिजाइन कि.मी. पर	18.990	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखत बाईपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका – 3						
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	बाईपास का नाम	आरंभ होते हुए	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले के झरोठी गांव पर एनएच-334बी के 30.800 (विद्यमान चेनेज 19.550) डिजाइन कि.मी. पर	खेवडा, बाहलगढ एवं सोनीपत बाईपास	6.210	25.100	18.270	284.576	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले के झरोठी गांव पर एनएच-334बी के 30.800 (विद्यमान चेनेज 19.550) डिजाइन कि.मी. पर	रोहना बाईपास	41.400	44.000	2.600	40.498	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा कर के राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

तालिका-4

शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	**सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई^ (किमी में)**	**समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले के झरोठी गांव पर एनएच-334बी के 30.800 (विद्यमान चेनेज 19.550) डिजाइन कि.मी. पर	0.360	3.600	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	**(जरीब-दूरी)**		**बुनियादी ढांचा का प्रकार**	**लम्बाई (कि.मी.)**
	कि.मी. से	**कि.मी. तक**		
1	11.733	11.853	फ्लाईओवर	0.120
2	17.380	17.520	आरओबी	0.140
3	22.045	22.145	फ्लाईओवर	0.100
कुल				**0.360**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्ः

तालिका-5

संदेय राशि	**अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता अवधि**
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे

पचास अथवा अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **1288.14** करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40%कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. ड्राफ्टटोलफीनोटिफिकेशनएनएच-334बी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4213(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2365 (E) dated the 12th July, 2016 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 of 1988) , the Central Government has entrusted the stretch 'UP- Haryana border-Sonipat- Jhajjar in the state of Haryana' to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 18.990 km and equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.600 km (having length of 0.360 km) and one and half times the base rates for bypass

length of 20.870 km (Costing rupees ten crore or more) for the use of four and more lane section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of UP/Haryana border to Rohna section from Km. 0.000 to km. 44.800 of NH-334B in the state of Haryana and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design km 30.800 (existing chainage 19.550) of NH-334B at Jharothi Village of Sonipat District in Haryana State	18.990	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At design km 30.800 (existing chainage 19.550) of NH 334B at Jharothi Village of Sonipat District in Haryana State	Khewra, Bahalgarh & Sonepat Bypass	6.210	25.100	18.270	284.576	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At design km 30.800 (existing chainage 19.550) of NH-334B at Jharothi Village of Sonipat District in Haryana State	Rohna Bypass	41.400	44.000	2.600	40.498	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At design km 30.800 (existing chainage 19.550) of NH-334B at Jharothi Village of Sonipat District in Haryana State	0.360	3.600	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

^The detail is as under:

4 lane structures				
	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	11.733	11.853	Flyover	0.120
2	17.380	17.520	ROB	0.140
3	22.045	22.145	Flyover	0.100
Total				0.360

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 285.000 (Two Hundred and Seventy-Five Only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1288.14 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. DraftTOLLfeeNotificationnh-334B]

AMIT VARADAN, Jt. Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.